Legal Express: An International Journal of Law **ISSN 2394-465X**
Vol. VII, Issue-I March 2021

मुस्लिम विधि के सिद्धांतों व नियमों का निर्वचन व अर्थान्वयन: विधिक अध्ययन

डॉ. सुहेल अजीम कुरैशी

सारांश

मुस्लिम विधि व्यक्तिगत विधि होकर मुसलमानों पर ही लागू होती है। चूंकि मुस्लिम विधि का प्रधान स्त्रोत अलकुरान है। और कुरान की उत्पत्ति पैगम्बर साहब के माध्यम से दैवीय संदेश अल्लाह के वही के रूप में प्राप्त हुई है। अतः इसे दैवीय विधि भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सुन्ना (हदीस), इज्मा एवं क्यास भी मुस्लिम विधि के स्त्रोत हैं। पैगम्बर साहब के जीवनकाल में यदि कोई मुस्लिम विधिक ़सिद्धांत या नियम को लेकर संशय होता था तो वह स्वयं उसका विनिश्चय करते थे जोकि सर्वमान्य होता था। किंतु उनकी मृत्यु के पश्चात मुस्लिम सभ्यता के आधुनिक विकास व प्रसार के दौरान संशय रूपी प्रश्नों पर विनिश्चयों की आवश्यकता महसूस होने लगी तो पूर्व में उक्त कार्य विभिन्न मुस्लिम मान्यता प्राप्त विधिवेत्ताओं व उलेमाओं द्वारा किया जाता था। किन्तु अब यह कार्य भारतीय सक्षम न्यायालयों द्वारा किया जाता है। जो कि संशयात्मक विधिक सिद्धांत व नियमों का निर्वचन व अर्थान्वयन के माध्यम से विनिश्चय करते हैं। जो कि निर्णीतानुसार सिद्धांत के अंतर्गत उसी तरह के वादों/प्रश्नों हेतु मान्य हैं जिसको निम्नतर व समकक्ष न्यायालय मानने के लिये बाध्य हैं। लेकिन जब भी विनिश्चय किया जायेगा वह मुस्लिम विधि के पूर्व सर्वमान्य नियमों के अंतर्गत ही किया जायेगा अर्थात् जो विनिश्चय मुस्लिम विधिवेत्ताओं द्वारा पूर्व में निर्णय दिया जा चुका है उसके अनुकूल ही होगा। अर्थात् कुरान, सुन्ना (हदीस), इज्मा, क्यास आदि का निर्वचन व अर्थान्वयन करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि वह कुरान के प्रतिकूल न हो।

बीजशब्द: मुस्लिम विधि, सिद्धांत, नियम, निर्वचन, अर्थान्वयन

परिचय

मुस्लिम विधि के कुरान, हदीस, सुन्ना, इज़्मा व क्यास मुख्य स्त्रोत हैं। जिसमें अलकुरान प्राथमिक मूल स्त्रोत होते हुए हदीस सुन्ना, सुन्नत, इज़्मा व क्यास कुरान पर आधारित होकर पैगम्बर मोहम्मद साहब द्वारा मान्य अनुमति प्राप्त विधि के स्त्रोत हैं। जिसके अंतर्गत कुरान की उत्पत्ति पैगम्बर साहब के हिरा नामक गुफा में इबादत व चिंतन के पश्चात आकाशवाणी दैवीय संदेश (वही) के रूप में तथा जिब्राइल नामक फरिश्ते के माध्यम से प्राप्त हुई हैं। इसे दैवीय विधि भी कहा जाता है। यह मुसलमानों पर उनकी व्यक्तिगत विधि के रूप में लागू होती है।

मुस्लिम समाज प्रगतिशील होने कारण हदीस और सुन्नत का अस्तित्व प्रचलन हुआ। जहां पर या किन्हीं समस्याओं के प्रति जब कुरान मौन हो तो पैगम्बर साहब इन प्रश्नों का विनिश्चय स्वयं करते थे या वह मौन स्वीकृति देकर या अपने आचरणों के माध्यम से निर्धारण करने का आदेश देते थे। हदीस सुन्ना या परंपराओं का पालन उनके बफात (मृत्यु) के पश्चात वृहद रूप में किया जाने लगा। वर्तमान में उक्त कार्य भारतीय सक्षम न्यायालयों द्वारा किया जा रहा है जोकि निर्णीतानुसार सिद्धांत के अंतर्गत सर्वमान्य होता है।

पैगम्बर साहब के अनुसार ''मैं आपके लिये कुरान व सुन्ना (सुन्नत) छोड़कर जा रहा हूँ। यदि तुम लोग इसका पालन अक्षरशः करोगे तो भूल से बचे रहोगे।'' समय व्यतीत होने के पश्चात इस्लामिक सभ्यता का विकास व प्रसार के दौरान पैगम्बर साहब की बफात के बाद ऐसी कई मुश्किलात (समस्याऐं) सामने आने लगीं कि किसी विशेष मसले (प्रश्न) पर उपलब्ध काल में तत्कालीन मुस्लिम विधिवेत्ताओं की संयुक्त सहमति की जरूरत महसूस होने लगी। विधिवेत्ताओं के संयुक्त मतैक्य द्वारा विधिनिर्माण को ही इज़्मा सिद्धांत कहते हैं। यह पैगम्बर साहब के साथियों, विधिवेत्ताओं तथा जनता द्वारा इस तरह इज़्मा तीन प्रकार के होते हैं। इज़्मा में भाग लेने हेतु योग्यताऐं निर्धारित थीं। क्यास का अर्थ होता है सादृश्य तर्क के माध्यम से लिये गये निर्णय किंतु वह कुरान, हदीस सुन्ना व इज़्मा के अनुकूल होने चाहिए।

आधुनिक वर्तमान युग में पूर्व निर्णय या न्यायिक विनिश्चय जिनमें प्रमुख रूप से प्रिवी कौंसिल, उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय वैधानिक रूप में आते हैं। जिनमें न्यायमूर्तिगण विधि की व्याख्या कर निर्णय देते हैं जो कि विनिश्चय होता है ये पूर्व निर्णय या न्यायिक विनिश्चय उसी तरह के वादों के वास्ते दृष्टांत साक्ष्य के साथ-साथ विधि के स्त्रोत भी होते हैं। विभिन्न न्यायालय उन दृष्टातों को अनुसरण करने के आबद्ध होते हैं। मुस्लिम विधि के तहत विधिक सिद्धांतों एवं नियमों का निवर्चन तथा अर्थान्वयन के अंतर्गत

(1) कुरान का निर्वचन (2) प्राचीन ग्रंथों का निर्वचन

(3) अरबी शब्दों व शब्दावलियों का अर्थान्वयन (4) हदीस का अर्थान्वयन

(5) हनफी विधि का अर्थान्वयन (6) पूर्व निर्णयों का अनुसरण

कुरान का निर्वचन व अर्थान्वियन:-

जब कुरान के निर्वचन व अर्थान्वयन की बात आती है तो न्यायालयों का दायित्वपूर्ण कर्तव्य होता है कि वह देखें कि सर्वप्रथम सक्षम व प्रमाणिक मुस्लिम विधिवेत्ताओं व उलेमाओं ने उनका निर्वचन व अर्थान्वयन किस रूप व प्रकार से किया है। उसके अंतर्गत प्रमाणिक विधिवेत्ताओं व उलेमाओं द्वारा किया गया निर्वचन व अर्थान्वयन उचित व अनुकूल माना जायेगा।

अर्थात न्यायालय को प्राचीन व उच्च प्रमाणिक श्रेष्ठ विद्वानों द्वारा गई स्पष्ट व्याख्या से अतिरिक्त या प्रतिकूल अर्थ लगाने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। (कुलसुम बीबी विरूद्ध गुलाम हुसैन 1905 CWL 1905)

विभिन्न न्यायालयों द्वारा समय पर कुरान के बिन्दु पर व्यक्त किये गये अभिमत के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने व्यक्त किया प्राचीन भाष्य होने के आधार पर मात्र इस बिन्दु पर इसे अमान्य नहीं किया जा सकता कि यह विधिक प्रतीत न होते हुए साम्या न्याय शुद्ध अंतकरण के अनुकूल नहीं है। (मोहम्मद इस्माईल बनाम अब्दुल रशीद AIR 1956 इलाहाबाद, पूर्णपीठ)

कुरान से संबंधित अंश का निर्वचन हिदाया व इमामिया जो कि सुन्नी व शियाओं की विधि से संबंधित है में एक निश्चित अर्थ मान लिया गया है तो उससे भिन्न निर्वचन न्यायाधीश द्वारा किया जाना अमान्य है। (आग़ा मोहम्मद जफर बनाम कुलसुम बीबी (1897), ILR (25 कलकत्ता) अर्थात न्यायालय कुरान का निर्वचन नहीं कर सकता है।

शेख दादा बनाम शेख मस्तान बी (1995 (1) क्राइम रिपोर्ट 34) चूंकि कुरान हज़रत मोहम्मद पैग़म्बर साहब को अल्लाह के दैवीय संदेशों के माध्यम से प्राप्त हुआ है। अतः यह मुस्लिम विधि का आवश्यक तत्व है। कि

ख़ुदा एक हैं और मोहम्मद साहब उनके पैग़म्बर (रसूल) हैं (नरन तक्य बनाम परक्कल AIR (1923), मद्रास 171)

प्राचीन ग्रंथों का निर्वचन

विधि के सिद्वान्त व नियमों को इस आधार पर लागू नहीं किया जा सकता कि आधुनिक विधियां प्राचीन ग्रंथों का स्वभाविक रूप में अनुसरण नहीं करती। जबकि विधि के प्राचीन प्रमाणिक विधिवेत्ता उस निष्कर्ष पर न पहुंचे हों अर्थात प्राचीन भाष्य ग्रंथ होने के आधार पर ही इसे अमान्य नहीं किया जा सकता है।

अरबी शब्दों तथा शब्दावलियों का अर्थान्वयन

प्राचीन मूलपाठों के अनुसार अरबी शब्दों एवं अरबी शब्दावलियों का पुराना अर्थ लगाना ही उचित व अनुकूल होता है।

हदीसों का अर्थान्वयन

हदीसों के अर्थान्वयन के संबंध में मुस्लिम उलेमाओं में यदि मतभेद हों तो विवादास्पद प्रश्न/ नियम के विनिश्चय स्वतः न्यायालय द्वारा न करते हुए सक्षम व प्रमाणिक विधिवेत्ताओ, उलेमाओं के मत या विनिश्चय पर विश्वास रखना उचित होता है। यदि मतभेद हों तो सापेक्ष रूप में अभी वरिष्ठता के सिद्धांत पर निर्भर रहना चाहिए। (25 इलाहाबाद 236 वाकर (अली बनाम अंजुमन वेग)

हनफी विधि का अर्थान्वयन

मुस्लिम विधि शास्त्र की हनफी विधि के प्रमुख इमाम अबू हनीफा तथा उनके शागिर्द अबू यूसुफ एवं इमाम मोहम्मद है। यदि किसी मसले पर वह सभी एकमत है तो कोई विरोधाभास नहीं हैं किन्तु भिन्न-मतातंर अतः विवादास्पद स्थिति होने पर अर्थान्वयन में मुश्किल होती है। ऐसी स्थिति में तुलनात्मक प्रमाणिकता के आधार पर विनिश्चिय किया जाना चाहिए। (अजीज बानो बनाम मोहम्मद इब्राहिम हुसैन - 1923, 74 इलाहाबाद 10 (WN 449) अबू हनीफा तथा उनके अनुयायी या शागिर्दों में मतभेद होने पर यह तीनों इनकी विचारधारा के टीकाकार के रूप में सुस्थापित हैं। मतभेद होने पर (तवकातुल हनीफा) के नियम अंतर्गत जब अबू हनीफा तथा अबू सूनूस व इमाम मोहम्मद में मतभेद हों तो मुफ्ती को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है कि यदि वह चाहें तो दोनों शागिर्दों के मत को नियमानुसार मान्य कर सकते हैं। किन्तु जब एक शागिर्द व गुरू अबू हनीफा एक ही मत है तो मुफ्ती उस मत को अधिमान्यता प्रदान करने हेतु बाध्य हैं, जब तक कि प्रमाणित विधिवेत्ताओं द्वारा नियमानुसार उसके विरूद्ध असहमति व्यक्त न की हो (अकील अहमद मुस्लिम विधि, 2007) आग़ा अली खां बनाम अल्ताफ हसन खां (1892) 14 इलाहाबाद के मुकदमें में यह अभिनिर्धारित किया गया कि अबूहनीफा व उनके शागिर्दों में किसी मुद्दे/ मसले को लेकर मतभेद होने पर दोनों शागिर्दों की राय अभिभावी होगी यह स्वीकार किया गया।

कुट्टी उम्मा बनाम ने दनगांदी बैंक लिमिटेड 1938 मद्रास 1481 में अभिनिर्धारित किया गया कि अबू हनीफा व ईमाम मोहम्मद के बीच मतभेद होने पर अबू यूसुफ के मत से सामंजस्य रखने वाला मत मान्य होगा। जब मतों में परस्पर विरोध हों तथा न्यायालय के न्याय साम्या सदविवेक के अनुकूल निर्णय लेना चाहिए।

पूर्व निर्णयों का अनुसरण

अन्य विधि संबंधी पद्धतियों की तरह मुस्लिम विधि में भी पूर्व निर्णयों के अनुसरण करने के सिद्धांत का दृढ़ता से पालन किया जाना चाहिए। सुस्थापित सामान्य सिद्धांत पूर्व न्यायिक निर्णयों का अनुसरण न करने की

दशा में स्थिति अत्यंत भयावह होने की संभावनायें प्रबलतम बनी रहेंगी। अतः यह सुस्थापित नियम की भारतीय न्यायालयों के द्वारा मुस्लिम विधि के महत्वपूर्ण विशेष या संदेहास्पद प्रश्न पर यदि विशेष तरीके से विनिश्चय कर दिया जा चुका है तो उसका अनुसरण करने हेतु बाध्य हैं। मुस्लिम विधि के किसी विवादित या संदेहात्मक मसले पर भारतीय न्यायालय द्वारा विशेष प्रकार से विनिश्चित कर निर्णय दिया जा चुका है तो वह निर्णीतानुसार सिद्धांत के अतंर्गत निदेशक माना जायेगा तथा उसका अनुसरण किया जाना चाहिए। (सदर अली बनाम आवेदा बीबी, 1928 कलकत्ता 649)।

निष्कर्ष

मुस्लिम विधि दैवीय विधि होकर मुसलमानों पर उनकी वैयक्तिक विधि के रूप में लागू होती है। कुरान मूल प्राथमिक स्त्रोत हैं अर्थात् कुरान पर आधारित है। इसके अलावा सुन्ना (हदीस), इज्मा, क्यास भी इसके स्त्रोत है। पैगम्बर साहब के जीवनकाल में किसी मुस्लिम विधिक सिद्धांत/ नियम पर संशय होने पर उनका विनिश्चय स्वयं मुहम्मद साहब करते थे किन्तु उनकी मृत्यु के पश्चात यह कार्य मान्यता प्राप्त विधिवेत्ताओ/ उलेमाओं द्वारा किया जाता था। किन्तु वह कुरान व एवं पैगम्बर साहब की सुन्ना (सुन्नत) के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। लेकिन अब यह कार्य भारतीय सक्षम न्यायालयों द्वारा उन संशयात्मक प्रश्नों का विनिश्चय कानून के निर्वचन व अर्थान्वयन के सिद्धांत द्वारा किया जाता है और किया गया निर्णय निर्णीतानुसार सिद्धांत के अनुसार समकक्ष व निम्नतर न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। अर्थात् जब भी न्यायालय मुस्लिम विधिक सिद्धांतों व नियमों का निर्वचन एवं अर्थान्वयन करेगा तो वह मुस्लिम विधि के अंतर्गत कुरान सुन्ना (हदीस) या पूर्व में इज्मा एवं क्यास द्वारा किये गये विनिश्चय के विपरीत नहीं होगा अर्थात् न्यायाधीशों को यह अधिकार प्राप्त नहीं हैं कि पूर्व में किसी बिन्दु पर किये गये विनिश्चय से भिन्न या विपरीत जाकर या अलग हटकर निर्वचन व अर्थान्वयन करें।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अलकुरान
2. हदीस
3. अकील अहमद मुस्लिम विधि: 2007
4. मुस्लिम विधि सैय्यद खुर्शीद अकबर नकवी
5. मुस्लिम विधि आर.के.सिन्हा
6. मुस्लिम विधि एस.के.जैन.
7. पारस दीवान
8. मुहम्मडन नजमी
9. मुहम्मडन लॉ रीप्रिन्ट मुल्लाह
10. आउटलाइन ऑफ़ मुहम्मडन: फैजी, मुहम्मडन डाइजेस्ट शाहिद